



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA NO. 09/2025

No. 2025/AC-II/21/9/-Part(1)/e-3493217

New Delhi, dated 30.03.2025

1. General Managers/FA&CAOs etc(As per standard List I)
2. All attached offices/Subordinate Offices (As per standard List II)

Sub: Opening of a new Sub Head and Detailed Heads - **Major Head 3002 & 3003 Sub Major Head 11 Erstwhile Demand No. 13 - Abstract 'O' for budgeting and accountal of Government Contribution of UPS subscribers under National Pension System - ACS No. 13 to Finance Code Vol-II.**

Ref:- Board's letter No. F(E)III/2025/UPS/1 dated 28.03.2025 (RBE No. 25/2025)

Kind attention is invited to Board's letter No. F(E)II/2025/UPS/1 dated 28.03.2025 enclosing circular on PFRDA's Gazetted Notification No, PFRDA12/01/0001/2023-legal dated 19.03.2025 regarding **Operationalization Of Unified Pension Scheme Under National Pension System**. As per these instructions, the employee covered under NPS shall have option to opt for UPS under the NPS scheme. Under this scheme, if the employee opts for UPS under NPS, Government shall make a matching contribution equal to the individual contribution of 10% of the Basic Pay And Non-Practicing Allowance, if any and Dearness Allowance thereon made by the UPS subscriber. Further an additional 8.5 of the Basic Pay And Non-Practicing Allowance, if any and Dearness Allowance thereon shall be credited to the Pool Corpus.

In order to ensure Budgeting and Accountal of this expenditure, it has been decided to open new Detailed Heads under - **Major Head 3002 & 3003 Sub Major Head 11 Erstwhile Demand No. 13 - Abstract 'O' .**

Accordingly, Advanced Correction Slip No. 13 to Indian Railways Finance Code Vol-II(Second Reprint Edition 2022) containing these details_ is enclosed.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above

Signed by

Rajat Agarwal

Date: 30-03-2025 15:15:58
(Rajat Agarwal)

Jt. Director Finance (CCA)

Railway Board

Ph.No. 011-23047018

E mail ID: Rajat.agarwal91@gov.in

1/3121416/2025

Copy To:

1. General Manager, Reserve Bank of India, Dept. of Govt & Bank Accounts, Central Office, Opp Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008.
2. CGA, Ministry of Finance, Deptt of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
3. Dy. C&AG of India (Railways, Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 45 spare copies)
4. Joint Secretary, Dept of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and IT , 6,CGO Complex, New Delhi - 110003
5. Gen Secy, NFIR/ AIRF, New Delhi.
6. F(E) III,PAO/RB, ERB-I,II,III,IV,V,AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection

Advance correction slip No. 13**Indian Railway Finance code vol.II (Second Reprint Edition 2022)****(Classification of Revenue Expenditure (Appendix-I))**

Please introduce the following **Sub head and Detailed Head** under **Major Head 3002 & 3003 Sub Major Head 11** Erstwhile Demand No. 13 - Abstract 'O'

Minor Head	Sub Head	Detailed Head
100 Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme.(existing-no change)	110 Govt. Contribution for Defined Contribution Pension Scheme and Interest (existing -no change)	111 Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme. (Existing-No change) 112 Interest on delayed/non- deposit of NPS contribution (Existing-No change) 113-Government Contribution for defined contribution scheme (UPS) for individual Corpus-(10% element) (New) 114- Government Contribution for defined contribution scheme (UPS) for Pool Corpus-(8.5% element) (New)

Also the

CLASSIFICATION OF REVENUE EXPENDITURE, APPENDIX,I
EXPLANATORY Notes Abstract "O"
This head will record booking of Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme (New Pension System)

May be modified as:

CLASSIFICATION OF REVENUE EXPENDITURE, APPENDIX,I
EXPLANATORY Notes Abstract "O"
This head will record booking of Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme (New Pension System) and Unified Pension Scheme under NPS

(Authority - Board's letter no. 2025/AC-II/21/9/e 3429735 DATED 30.03.2025)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2025/एसी-III/21/9/-पार्ट(1)/ई-3493217

आरबीए सं. 09/2025
नई दिल्ली, दिनांक 30.03.2025

1. महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (मानक सूची I के अनुसार)
2. सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस उपयोगकर्ताओं के सरकारी अंशदान की बजट व्यवस्था और लेखांकन के लिए एक नया उप शीर्ष और विस्तृत शीर्ष - मुख्य शीर्ष 3002 एवं 3003 उप मुख्य शीर्ष 11 पूर्ववर्ती मांग सं.-13 - सार 'ण'- खोलना - वित्त संहिता वाल्यूम-II की अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 13.

संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 28.03.2025 का पत्र सं.एफ(ई)III/2025/यूपीएस/1 (आरबीई सं.25/2025).

बोर्ड के दिनांक 28.03.2025 के पत्र सं.एफ(ई)III/2025/यूपीएस/1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के संबंध में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की दिनांक 19.03.2025 की राजपत्रित अधिसूचना सं.पीएफआरडीए12/01/0001/2023-लीगल से संबंधित परिपत्र संलग्न किया गया है। इन अनुदेशों के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के पास एनपीएस योजना के तहत यूपीएस को चुनने का विकल्प होगा। इस योजना के अंतर्गत, यदि कर्मचारी एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनता है, तो सरकार यूपीएस उपयोगकर्ता को दिए जाने वाले मूल वेतन और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते यदि कोई हो, और उस पर मंहगाई भत्ते के 10% के निजी अंशदान के बराबर समान अंशदान प्रदान करेगी। इसके अलावा, मूल वेतन तथा नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता यदि कोई हो, और उस पर मंहगाई भत्ते का अतिरिक्त 8.5% पूल कॉर्पस में जमा किया जाएगा।

इस व्यय का बजट निर्धारण और लेखा-जोखा सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य शीर्ष 3002 एवं 3003 उप मुख्य शीर्ष 11, पूर्ववर्ती मांग संख्या 13 - सार 'ण' - के अंतर्गत नए विस्तृत शीर्ष खोलने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2022) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 13 जिसमें ये विवरण शामिल हैं, संलग्न है।

कृपया शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को यथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक:यथोक्त

इ.

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं.-011-23047018

ई-मेल आईडी - rajat.agarwal91@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, बायकुला, मुंबई-400008.
2. सीजीए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली.
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (45 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
4. संयुक्त सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 6 सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003
5. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर/एआईआरएफ, नई दिल्ली.
6. वित्त(व्यय)-III, वेतन एवं लेखा अधिकारी/रेलवे बोर्ड, ईआरबी-I, II, III, IV, V, लेखा-III(6 प्रतियाँ), लेखा- IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या-13

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2022)

(राजस्व व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-I))

कृपया मुख्य शीर्ष 3002 एवं 3003 उप मुख्य शीर्ष 11, पूर्ववर्ती मांग संख्या 13 - सार 'ण' के अंतर्गत निम्नलिखित उप शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष प्रस्तुत करें -

लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
100 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान (मौजूदा - कोई बदलाव नहीं)	110 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना और ब्याज के लिए सरकारी अंशदान (मौजूदा - कोई बदलाव नहीं)	111 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान (मौजूदा - कोई बदलाव नहीं) 112 एनपीएस अंशदान के विलंब होने/जमा न होने की स्थिति में ब्याज (मौजूदा - कोई बदलाव नहीं) 113 व्यक्तिगत कॉर्पस-(10% एलिमेंट) हेतु परिभाषित अंशदान योजना (यूपीएस) के लिए सरकारी अंशदान (नई) 114 पुल कॉर्पस-(8.5% एलिमेंट) हेतु परिभाषित अंशदान योजना (यूपीएस) के लिए सरकारी अंशदान (नई)

इसके साथ

राजस्व व्यय का वर्गीकरण, परिशिष्ट, I
विश्लेषणात्मक टिप्पणी सार "ण"
यह शीर्ष परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन प्रणाली) के लिए सरकारी अंशदान के आंकड़ों को सुरक्षित करेगा।

को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकेगा:

राजस्व व्यय का वर्गीकरण, परिशिष्ट, I
विश्लेषणात्मक टिप्पणी सार "ण"
यह शीर्ष परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन प्रणाली) तथा एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान के आंकड़ों को सुरक्षित करेगा।

(प्राधिकार - बोर्ड का दिनांक 30.03.2025 का पत्र संख्या 2025/एसी II/21/9/ई3429735)